भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2661

11 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

सेल के कर्मचारियों का वेतन समझौता

2661. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कर्मचारियों तथा अधिकारियों का वेतन समझौता जनवरी, 2017 से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन समझौता लंबित है, युनिट-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व के वेतन समझौते में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन समझौता केवल एक ही पैटर्न पर हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो अधिकारियों और कर्मचारियों को देय न्यूनतम गारंटीकृत लाभ (एमजीबी) प्रतिशत, भत्तों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के गैर-कार्यपालकों/कार्यपालकों का मजदूरी/वेतन संशोधन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों द्वारा अधिशासित होता है। गैर-कार्यपालकों के लिए अंतिम वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2012 से 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था और कार्यपालकों के लिए अंतिम वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2007 से 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था।

(ख): मजदूरी संशोधन के लिए पात्र गैर-कार्यपालकों की संख्या इस्पात संबंधी राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) करार के अनुसार वेतन समझौते के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि के आधार पर निर्धारित की जाती है। वेतन संशोधन के लिए पात्र कार्यपालकों की संख्या वेतन संशोधन के कार्यान्वयन की निश्चित तारीख के आधार पर निर्धारित होती है।

(ग) और (घ): जी नहीं।

****